


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 12.01.2026 | <p>प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 73/2025 बनाराम बनाम कमला देवी</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाई गई। किन्तु अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को नहीं चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण बनाराम बनाम कमला देवी दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 59/2024 को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थी बनाराम पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर निवासी लिखली तहसील सिकराय द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (अरविन्द शर्मा) अति. जिला कलक्टर, दौसा</p> | |